भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1162

उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

सरकारी विद्यालयों को बंद किया जाना

1162 **श्री जावेद अली खान:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट और यूडीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार पिछले दस वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं, जिनमें कम नामांकन, अवसंरचना संबंधी समस्याएं, शिक्षकों की कमी तथा विलय संबंधी नीतियां शामिल हैं;

(ग) इन विद्यालयों के बंद होने का अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण, दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार सरकारी स्कूलों की कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना और उन्हें युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों को निर्धारित क्षेत्र अथवा पड़ोस की सीमाओं में प्रारंभिक स्कूलों तक पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस के मानदंडों के क्षेत्र अथवा सीमाओं को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 8 में यह भी उल्लिखित है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच में सुधार करने में प्रगति हुई है। यह वर्ष 2018-19 और वर्ष 2024-25 के सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से प्रमाणित होता है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर : सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) संबंधित वर्ष के कुल गांवों/बसावटों में से एक वर्ष में विनिर्दिष्ट मानदंड में स्कूल वाले गांवों/बसावटों का कुल अनुपात है।

यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, शिक्षा के स्तर के अनुसार समग्र, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) निम्नलिखित है। :

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

सामाजिक श्रेणी	**प्राथमिक (I-V)**	**उच्च प्राथमिक (VI-VIII)**	**माध्यमिक (IX-X)**	**उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)**
कुल मिलाकर	89.4	89.6	81.5	61.7
अनुसूचित जाति	88.7	94.7	86.2	62.9
अनुसूचित जनजाति	98.0	98.7	85.4	55.9

(घ): केन्द्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक प्रदान किए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन के माध्यम से सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की स्थापना तथा उनका उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम से आवासीय स्कूल/छात्रावास की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातिय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान, मौसम के अनुसार छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में कौशल शिक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा यूनिफ़ार्म प्रदान करना, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि शामिल हैं।

पीएम श्री योजना को 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को उदाहरणपारक स्कूलों के रूप में विकसित करने के लक्ष्य से भी शुरू किया गया है, जो एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

अनुलग्नक-I

'सरकारी विद्यालयों को बंद किया जाना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जावेद अली खान द्वारा 29/07/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1162 के उत्तर क भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सरकारी स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	सरकारी स्कूल					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत	1107101	1104796	1101371	1094543	1083747	1032570
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	344	344	344	339	339	342
आंध्र प्रदेश	46666	44907	44700	44896	45013	45115
अरुणाचल प्रदेश	3408	3492	3459	3447	3179	3056
असम	52927	53020	53042	50965	47223	47157
बिहार	74291	74689	74908	73528	72630	72610
चंडीगढ़	113	115	116	121	121	121
छत्तीसगढ़	50061	47181	47216	48848	48671	48547
दादरा और नगर हवेली	299	299	301	300	300	300
दमन और दीव	114	119	119	115	112	109
दिल्ली	2844	2828	2791	2787	2784	2767
गोवा	906	894	873	846	833	827
गुजरात	34817	34891	35122	35152	35202	35040
हरियाणा	14630	14640	14483	14450	14516	14484
हिमाचल प्रदेश	15355	15386	15489	15465	15433	15398
जम्मू और कश्मीर	23874	23834	23855	23904	24080	23165
झारखंड	41322	41159	40014	39703	35954	35931
कर्नाटक	50486	50424	49883	50066	50184	49834
केरल	5104	4792	5073	4783	5011	5014
लद्दाख	-	-	-	-	-	913
लक्षद्वीप	45	45	45	45	45	45
मध्य प्रदेश	121849	121976	122880	122653	122056	99411
महाराष्ट्र	67717	67629	67154	66750	66033	65886
मणिपुर	2372	3332	3323	3037	3073	2876
मेघालय	7763	7775	7793	7805	7802	7799
मिज़ोरम	2592	2591	2595	2582	2564	2552
नागालैंड	2279	2101	2097	2080	2007	2011
ओडिशा	58697	58740	58052	56313	55483	53260
पुडुचेरी	436	430	424	424	423	422
पंजाब	20772	20529	20568	19515	19404	19377
राजस्थान	70210	70961	68039	66943	67607	67660
सिक्किम	868	870	874	853	854	851
तमिलनाडु	37911	38209	38307	37634	37728	37579
तेलंगाना	29268	29127	29427	29845	29822	30001
त्रिपुरा	4326	4322	4320	4314	4309	4275
उत्तर प्रदेश	162228	162645	162927	163114	163142	137638
उत्तराखंड	17753	17752	17753	17629	16934	16741
पश्चिम बंगाल	82454	82748	83005	83292	82876	83456

स्रोत: यूडाइज+

अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (जारी)

	सरकारी स्कूल					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	1032049	1022386	1016010	1017660	1013322	1005245
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	342	342	340	335	335
आंध्र प्रदेश	45145	45137	45167	45000	44886	44222
अरुणाचल प्रदेश	3061	2985	2922	2847	2558	2468
असम	46749	45490	44925	45008	44741	44550
बिहार	75555	75558	75550	78120	76320	76435
चंडीगढ़	121	123	119	119	118	116
छत्तीसगढ़	48619	48743	48728	48803	48827	48853
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	407	388	387	360	361	353
दिल्ली	2751	2762	2673	2693	2681	2688
गोवा	821	814	806	789	780	771
गुजरात	34967	34699	34651	34597	34638	34734
हरियाणा	14563	14562	14443	14374	14338	14338
हिमाचल प्रदेश	15391	15380	15447	15217	14725	14460
जम्मू और कश्मीर	23167	23173	18785	18785	18785	18787
झारखंड	35888	35840	35764	35795	35788	35819
कर्नाटक	49791	49679	49520	49306	48844	48527
केरल	5020	5010	4811	4809	4808	4809
लद्दाख	915	838	841	841	812	733
लक्षद्वीप	45	38	37	37	36	34
मध्य प्रदेश	99152	92695	92741	92439	92250	91199
महाराष्ट्र	65734	65639	65431	65157	64884	64571
मणिपुर	2878	2889	2922	2934	2952	2934
मेघालय	7795	7783	7778	7779	7789	5620
मिज़ोरम	2558	2563	2567	2587	2617	2613
नागालैंड	1975	1960	1954	1952	1936	1902
ओडिशा	50256	49072	48767	48671	48625	48603
पुडुचेरी	422	422	422	420	419	419
पंजाब	19330	19259	19245	19242	19243	19241
राजस्थान	68813	68948	69538	70233	70155	69983
सिक्किम	851	864	864	864	857	829
तमिलनाडु	37589	37636	37658	37672	37626	37539
तेलंगाना	30015	30023	29997	30022	30057	28088
त्रिपुरा	4265	4262	4245	4238	4187	4144
उत्तर प्रदेश	137068	137024	137003	137102	137172	137103
उत्तराखंड	16651	16484	16381	16201	16018	15834
पश्चिम बंगाल	83379	83302	82579	82307	82154	81591

स्रोत : यूडाइज+